<u>न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल</u>

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–411 / 2026

(राघोपुर थाना कांड सं0–472 / 2025)

	1. रामदेव यादव, पे0 स्व0 लक्ष्मी यादव 2. खटरी देवी, पति रामदेव यादव 3. रूबी देवी, पति मनोज यादव सभी साकिन नरहा थाना–राघोपुर, जिला सुपौल.....अभियुक्त / आवेदकगण बनाम् बिहार राज्य.....विपक्षी	
<u>22 / 04 / 26</u>	प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त आवेदकगण **(1) रामदेव यादव (2) खटरी देवी एवं (3) रूबी देवी** की ओर से दाखिल किया गया है, जो राघोपुर थाना कांड सं0–472 / 2025 अन्तर्गत धारा–115(2), 126(2) 351(2), 352, 109 भारतीय न्याय संहिता के अधीन गिरफ्तारी के भय से आशंकित है। अग्रिम जमानत के बिन्दु पर अभियुक्त आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री शीलभद्र सिंह एवं अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक श्री जे0एन0 पांडेय को सुना। अभियुक्त आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि अभियुक्त आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है तथा इनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त आवेदकगण का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। धारा 109 बी0एन0एस0 को छोड़कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय है। सूचक के द्वारा जमीन संबंधी विवाद को लेकर अभियुक्त आवेदकगण को झूठा फॅसाया गया है। अभियुक्त आवेदकगण धारा 482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम के सभी नियम एवं शर्तो को मानने को तैयार है। अतः अभियुक्त आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं। अभियुक्त आवेदक सूचिका निर्मला देवी के फर्द बयान के आधार पर संस्थित राघोपुर थाना कांड संख्या–472 / 2025 धारा– 126(2), 115(2), 351(2), 352, 109 बी0एन0एस0 के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त है। सूचिका ने अपने फर्द बयान में कही है, कि दिनांक 23 / 12 / 2025 राजे मंगलवार को समय करीब 10:00 बजे सुबह को वे अपने घर के रसोई में खाना बना रही थी, खाना बनाने के क्रम में उसके ससुर रामदेव यादव घरेलू बात को लेकर उसको डॉट फटकार रहे थे, इसपर वह बोली कि आपकों कुछ न कुछ बहाना चाहिए, उससे बहस करने के लिए इतना बोलते ही उसके परिवार के लोग मनोज यादव (भैसुर), रामदेव यादव, रूबी देवी (गोतनी), खटरी देवी (सास) ने उसे भद्दी भद्दी गाली देने लगा, जब वह गाली देने से मना कि तो उसके भैसुर मनोज यादव ने गलत नियत से उसका साड़ी पकड़कर खींच लिया और उसे अर्धनग्न कर लात, ऐड़ मुक्का से बेरहमी से मारने पीटने लगा। इस मारपीट के क्रम में मनोज यादव ने अपने हाथ में लिये लोहे की खन्ती से उसके ऑख के उपरी हिस्सा में भोक दिया और वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी वही रामदेव यादव, रूबी देवी ने अपने हाथ में लिये लाठी से बेरहमी से मारने पीटने लगी। वही उसकी सास खटरी	

<u>न्यायालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल</u>

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–411 / 2026

(राघोपुर थाना कांड सं0–472 / 2025)

<u>लगातार.....</u> 22 / 04 / 26	देवी ने उसके सर का बाल पकड़कर जमीन पर घसीटने लगी। उसके चीख पुकार पर आस पास के लोग आये और उसकी जान बच सकी। मारपीट के क्रम में उसे अंदरूनी गंभीर चोट लगी, जिसका ईलाज रेफरल अस्पताल राघोपुर में चला। उभयपक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है तथा इनके विरूद्व सूचिका के साथ लाठी से मारपीट करने एवं बाल पकड़कर जमीन पर घसीटने का आरोप है। अभियुक्त आवेदकगण प्रस्तुत वाद की सूचिका के सास, ससुर, गोतनी है। वाद दैनिकी के कंडिका 06, 07 में साक्षियों का बयान है, कंडिका 50 में सूचिका सह जख्मी का जख्मी प्रतिवेदन है, जो साधारण प्रकृति का है। उभयपक्षों के मध्य मेल व सुलह हो गया है तथा सुलहनामा एवं अनुमति आवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है तथा सूचिका न्यायालय में उपस्थित होकर सुलह की बात स्वीकारती है और इस संबंध में उसके द्वारा अभिलेख पर पृष्ठांकन भी किया गया है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं सुलहनामा के आधार पर अभियुक्त आवेदकगण **(1) रामदेव यादव (2) खटरी देवी एवं (3) रूबी देवी** को अग्रिम जमानत देना न्यायोचित प्रतीत होता है। अभियुक्त आवेदकगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है तथा इस आदेश की प्राप्ति / प्रस्तुति के 15 दिनों के अन्दर विद्वान निम्न न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने पर या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के पश्चात् अभियुक्त आवेदकगण की ओर से मो0 15,000 / –रूपये एवं समान राशि के दो प्रतिभुओं के साथ बंध पत्र दाखिल करने पर धारा 482 (2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अधीन विद्वान निम्न न्यायालय के संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर इस शर्त के साथ छोड़ने का आदेश जाता है, कि एक जमानतदार नजदीकी रिस्तेदार या परिवार के सदस्य होगें। लेखापित –हस्ता0– (अनंत सिंह) प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुपौल	